181

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रूपये
TWENTY RUPEES

|| श्री ||

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)
प्रकरण कमांक /2016 निगरानी

निग — 1768 - PBR - 16

मदनलाल पिता मांगियाजी जाति बागरी
निवासी ग्राम भौमलवास तहसील बडनगर
जिला उज्जैन म.प्र.
..................आवेदक

विरूद्ध

सुरेश पिता परमेश्वरजी जाति माली
निवासी ग्राम पिपलू तहसील बडनगर
जिला उज्जैन म.प्र.
.....................अनावेदक

श्री आशीष वैद्य अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर 31-5-16 को प्रस्तुत
31-5-16

निगरानी धारा 50 भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बडनगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 69/अपील/11—12 आदेश दिनांक 29/03/2016 के विरूद्ध निगरानी ।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत हैं—

01 यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की कार्यवाही धारा 32 भू.रा.सं. के आवेदन के आधार पर सिविल वाद के अंतिम निराकरण तक स्थगित करने मे वैधानिक त्रुटी की है। सिविल वाद मे आवेदक के पक्ष मे आधिपत्य बाबद् अनावेदक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई । अपील प्रकरण के विचारण सम्बंधी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा नही है । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमे निहित न की गई हो तथा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है ।

02 यह कि आवेदक द्वारा अरबअली पिता नगजी नायता निवासी पलदूना से 9.000/— रूपये कर्ज प्राप्त किये थे । अरबअली ने आवेदक की निरक्षरता का लाभ उठाकर आवेदक की भूमी सर्वे नंबर 368 रकबा 2.37 का मुखत्यारनामा अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया, जिसकी आवेदक

XXIX(a)-BR(H)-11

(181)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1768-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष वैध उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक27-3-19को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	